

अधिभार (प्रधानमंत्री गरीब कल्याण उपकर)																			
जुर्माना																			
कुल																			
कुल (शब्दों में)																			
करोड़		लाख		हजार		सैंकड़ा		दहाई		इकाई									
नगद में भुगतान/खाते में घटा/चेक नं.																			
आहरण																			
बैंक और शाखा का नाम																			
दिनांक																			
भुगतान करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर																			
करदाता प्रतिपण (करदाता द्वारा भरे जाने के लिए)																			
पैन																			
से प्राप्ति																			
(करदाता का नाम)																			
नगद/खाते में घटा/चेक नं.																			
रु. (शब्दों में)																			
आहरण																			
(बैंक और शाखा का नाम)																			
पीएमजीकेवाई के अंतर्गत किया गया भुगतान (112) (एक चुनें)																			
कंपनी द्वारा भुगतान		<input type="checkbox"/>		कंपनी को छोड़कर व्यक्ति द्वारा		<input type="checkbox"/>													
		<input type="checkbox"/>		भुगतान		<input type="checkbox"/>													

रु.

बैंक सील के लिए रिक्त स्थान

निर्धारण वर्ष के लिए	2	0	1	7	-	1	8	रु.
----------------------	---	---	---	---	---	---	---	-----

* टिप्पणी

1. कृपया ध्यान दें स्थाई खाता सं. (पैन) को उद्धृत करना आवश्यक है। पैन न होने की स्थिति में पैन के लिए आवेदन करें तथा आवेदन की तिथि और प्राप्ति संख्या को उद्धृत करें।
 2. करदाता निम्नानुसार पीएमजीकेवाई के अंतर्गत भुगतान के लिए चेक/डीडी आहरित/जारी कर सकते हैं।
भुगतान(बैंक का नाम जहां चालान जमा किया जाना है) खाता आयकर पीएमजीकेवाई
कृपया सुनिश्चित करें कि बैंक की प्राप्ति रसीद में निम्नलिखित शामिल हैं :-
 1. बैंक की शाखा का 7 अंकों का बीएसआर कोड
 2. चालान को जमा करने की तिथि (डीडी/एमएम/वाईवाई)
 3. चालान क्रमांक सं.
- इसे प्रपत्र-1 में उद्धृत किया जाएगा